(304)

U

20 Rs. COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 13/01/2016

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा</u> (428)

(म0प्र0)

R5017-II/16

1- दुखई पिता रीचन कोल

2- अमोले पिता गौहार तेली दोनो निवासी ग्राम-हिवा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

3- म0प्र0 शासन

———निगरानीकर्तागण

बनाम्

प्रेमवती पत्नी हिन्छपतीराम ब्रा0 निवासी ग्राम-हिवा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

———गैरनिगरानीकर्ता

श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा एड द्वारा आज दिनांक 13-1-16 के प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार तहसील देवसर, प्रकरण कमांक-45 अ6अ/2012-13 आदेश दिनांक 30-05-15 एवं उपखण्ड अधिकारी देवसर, जिला सीधी के <u>प्र0 क0-140/अपील/1/14-15</u> अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 <u>भू-राजस्व संहिता 1959</u>

मान्यवर,

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

यह कि आराजी खसरा कमांक-04 रकवा 0.27हे0 व 5/2 रकवा 0.30हे0 जो म0प्र0 शासन एवं गरीब भूमिहीन के आबादी की भूमि है, और उसमें निगरानीकर्ता अपना मकान बनाकर आबाद है और शासन द्वारा उन्हें इसी प्रयोजन से उक्त भूमि छोड़ी गई है, जिसको तहसीलदार ने गैर निगरानीकर्ता के नाम बिना कोई रिकार्ड स्वामित्व एवं बिना कोई वैधानिक प्रमाण के खसरा सुधार किया गया है, जिसे

(304)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5017-II/116 जिला सिंगरौली

दुरवई कोल विरूद्ध प्रेमवती वगै०

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 140/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक........ के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-04-19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	